

ई नीलामी बिक्री के लिए लागू विशेष शर्तें

1.	बयाना राशि जमा (ईएमडी) राशि स्वीकृत बोली मूल्य का 10% होगी।				
2.	भुगतान संतुलन बिक्री मूल्य और पी वे स्क्रेप की डिलीवरी। और अन्य लाइन लॉट वितरण शेष बिक्री मूल्य की वसूली के बाद ही आदेश जारी किया जाएगा।				
	क्र.स.	लॉट का बिक्री मूल्य	शेष राशि का भुगतान बिक्री मूल्य की गणना दिनांक से बोली की स्वीकृति के लिए खाली समय की अनुमति है।	बोली की स्वीकृति की तिथि से वितरण तक माना जाता है के लिए खाली समय की अनुमति है।	किश्त की संख्या भुगतान के लिए जायज़ है।
	1.	रु.03 लाख तक & समेत	10 दिन	50 दिन	1
	2.	3 लाख रुपये से अधिक व रु. 5 लाख तक	15 दिन		1
	3.	5 लाख रुपये से अधिक व रु. 15 लाख तक			2
	4.	15 लाख रु. से अधिक			3
3.	क्रेता द्वारा डिमांड ड्राफ्ट द्वारा शेष बिक्री मूल्य की स्थिति में, ऐसी मांग ड्राफ्ट एफए और सीएओ / एनसीआरली इलाहाबाद के पक्ष में होना चाहिए जो एसबीआई या किसी अनुसूचित एनसीआर के क्षेत्रीय या मंडल मुख्यालय में देय बैंक।				
4.	विलंबित भुगतान की स्थिति में ब्याज दर प्राइम लेंडिंग से 2% अधिक वसूल की जाएगी भारतीय स्टेट बैंक की दर नीलामी की तिथि को लागू।				
5.	शेष भुगतान के लिए समय का विस्तार : शेष बिक्री के भुगतान के लिए अनुमत खाली समय है। पैरा 02 और 03 में दर्शाया गया है। हालांकि, ब्याज सहित बीएसवी के भुगतान का समय हो सकता है। रेलवे द्वारा पी.वेस्क्रेप और अन्य लाइनों के लिए 40 दिनों तक और फोर्ड डिपोलॉट्सअप के लिए बढ़ाया गया लिखित पर असाधारण परिस्थितियों में बोली की स्वीकृति की तारीख से 35 दिनों तक खरीदार का अनुरोध। ईएमडी को जब्त कर लिया जाएगा, यदि शेष बिक्री मूल्य बीएस नहीं है। 40/35 दिनों की उक्त अवधि के भीतर क्रेता द्वारा जमा किया गया।				
6.	डिलीवरी की अधिकतम अवधि: मुफ्त डिलीवरी की अवधि अधिकतम 50/40 दिन होगी जैसा कि पैरा 02 और 03 में दर्शाया गया है, बोली स्वीकृति की तारीख से। हालांकि रेलवे योग्य मामलों में प्रशासन डिलीवरी की अवधि 15 दिन से अधिक बढ़ा सकता है और 50/40 दिनों की निर्धारित अवधि से अधिक।				
7.	किसी भी दुर्घटना के लिए रेलवे प्रशासन जिम्मेदार नहीं होगा ठेकेदार मजदूर या नौकर किसी भी कारण से कभी भी।				
8.	सरकारी लेवी आयकर विभाग के नियमों के अनुसार स्रोत पर आईटीसीएस की कटौती की जाएगी।				

9.	बेचे गए लॉट की डिलीवरी की अनुमति रविवार और छुट्टियों के दिन नहीं दी जाएगी स्टॉक धारक।
10.	निम्नलिखित शर्तें भी लागू होंगी। ए) सभी ट्रेक/साइडिंग जैसा है जहां है के आधार पर बेचे जाते हैं और कोई धनवापसी नहीं होगी मात्रा की किसी भी कमी के मामले में अनुमति दी गई है लेकिन साथ ही आइटम डिलीवरी के समय लॉट में अधिक पाया गया और लॉट में पाया गया सामान लेकिन नीलामी के समय घोषित नहीं किया गया क्रेता को सुपुर्द नहीं किया जाएगा। बी) बेचे गए लॉट के विवरण के संबंध में किसी भी विवाद के मामले में, का निर्णय नीलामी संचालन अधिकारी अंतिम होगा।

	<p>सी) निकटतम सरकार में भार। स्वीकृत धर्मकांता की अनुमति है स्टॉक होल्डर के पास तौल सुविधा उपलब्ध न होने की स्थिति में।</p> <p>डी) प्रशासनिक कारणों से चल स्टॉक के स्थानांतरण पर विचार नहीं किया जाएगा बहुत अशांति के रूप में।</p> <p>ई) जब तक निर्दिष्ट अलौह सामग्री किसी भी लॉट में पाई जाती है, वितरित नहीं की जाएगी खरीदार को।</p> <p>एफ) जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो सभी वैगन/कोच/लोको बिना पहिए के बेचे जाते हैं सेट।</p> <p>जी) सीआई स्लीपरों (यानी सीएसटी 9 प्लेट्स, सीआई पॉट्स, एसीबी) के मामले में मिट्टी की सफाई की अनुमति है प्लेट्स, डी एंड ओ प्लेट्स, एलके प्लेट्स आदि।</p> <p>एच) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण द्वारा परिभाषित खतरनाक कचरे के ढेर खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन और प्रबंधन नियम 1986 के तहत बोर्ड और समय-समय पर संशोधित केवल वैध होने वाली फर्म को ही बेचा जाएगा इन मदों को पुनर्चक्रणकर्ता/पुनः प्रसंस्करणकर्ता के रूप में संसाधित करने का अधिकार खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन और हैंडलिंग) नियम 1986, जैसा कि संशोधित किया गया है पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किया गया। फर्म होना चाहिए पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार के साथ पंजीकृत और वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र होना चाहिए। मूल रूप में इस प्रमाणपत्र को नीलामी संचालन अधिकारी को उसकी आवश्यकता पर उपलब्ध कराया जाएगा। खरीदार को खरीद के समय अंडरटेकिंग देने की भी आवश्यकता होगी उसके प्रमाण पत्र की वैधता की अवधि के भीतर कचरे को परिष्कृत / पुनर्चक्रित करें पंजीकरण और समय की खरीद उसकी कुल सीमा से अधिक नहीं होगी पंजीकरण प्रमाण पत्र। यदि क्रेता उपरोक्त में से किसी का पालन करने में विफल रहता है शर्तों या पर्यावरण मंत्रालय द्वारा निर्धारित नियमों में से किसी का उल्लंघन एवं वन, बिक्री निरस्त कर दी जाएगी तथा राशि जमा करा दी जाएगी क्रेता जब्त कर लिया जाएगा।</p> <p>आई) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा परिभाषित ई कचरे से युक्त बहुत सारे या केंद्र शासित प्रदेशों की प्रदूषण नियंत्रण समिति, जैसा भी मामला हो, ई अनुसूची I के अंतर्गत आने वाले अपशिष्ट (प्रबंधन और हैंडलिंग) नियम 2011, और समय-समय पर संशोधित केवल वैध होने वाली फर्मों को ही बेचा जाएगा ई items के तहत इन मदों को रिसाइकलर /री प्रोसेसर के रूप में संसाधित करने के लिए प्राधिकरण अपशिष्ट (प्रबंधन और हैंडलिंग) नियम 2011, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा जारी समय। फर्म होना चाहिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण के साथ अधिकृत और पंजीकृत केंद्र शासित प्रदेशों की नियंत्रण समिति और उसके पास वैध होना चाहिए पंजीकरण प्रमाण पत्र। मूल रूप में यह प्रमाण पत्र प्रदान किया जाना है उसकी आवश्यकता पर नीलामी संचालन अधिकारी। खरीदार भी होगा खरीद के समय रिफाइन/रीसायकल करने के लिए अंडरटेकिंग देना आवश्यक है अपने पंजीकरण प्रमाण पत्र की वैधता की अवधि के भीतर अपशिष्ट और वस्तुओं की खरीद उसके पंजीकरण की कुल सीमा से अधिक नहीं होगी प्रमाणपत्र। यदि क्रेता उपरोक्त शर्तों में से किसी एक का पालन करने में विफल रहता है या पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा निर्धारित किसी भी नियम का उल्लंघन करता है, बिक्री रद्द कर दी जाएगी और क्रेता द्वारा जमा की गई राशि होगी जब्त किया।</p> <p>जे) बहुत सारे सीआई पॉट जोड़े/सीएसटी 9 प्लेट के लिए टाई बार में एक सेंटर कट की अनुमति है जोड़े/एलके प्लेट जोड़े और अन्य सीएसटी जोड़ी लॉट।</p> <p>के) जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न किया गया हो, रेलों पर किसी मूल्यहास की अनुमति नहीं दी जाएगी।</p>
--	---

	<p>एल) लदान की सुविधा के लिए, खरीदारों को रेल के लंबे टुकड़े काटने की अनुमति है लोडिंग वाहन के आकार के अनुसार लेकिन ये कटे हुए टुकड़े नहीं होने चाहिए एक मीटर लंबाई के आकार के नीचे।</p> <p>एम) संभागीय लॉट के लिए, क्रेता को संभागीय प्राधिकारियों को आवेदन करना चाहिए: एफडीपी की समाप्ति से कम से कम 7 दिन पहले डिलीवरी की तारीख तय करना विधिवत सभी आवश्यक औपचारिकताओं का पालन करना, अन्यथा फिक्सिंग के लिए यदि कोई हो तो देरी FDP के भीतर डिलीवरी की तारीखों पर प्रशासनिक आधार पर विचार नहीं किया जाएगा किन्हीं भी परिस्थितियों में। हालांकि, डिपो लॉट के लिए, क्रेता को चाहिए डिलीवरी की तारीख तय करने के लिए सीधे डिपो अधिकारी को आवेदन करें।</p> <p>एन) मंडल रेल लॉट के लिए, डिलीवरी सबसे कम समय में पूरी की जानी चाहिए संभव समय और क्रेता को भूलकर पर्याप्त ट्रक संलग्न करना चाहिए कम से कम समय में डिलीवरी पूरी हो गई है।</p>
--	---